न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कम्प भोपाल

(127)

राजस्व प्रकरण क्रमांक /निगारनी/17–18

निगरानी–4606/2018/भोपाल/

01. ओमप्रकाश लोधी आयु लगभग 54 वर्ष
आत्मज स्व. श्री जवाहर सिंह जाति लोधी व्यवसाय कृषि

02. रघुवीर सिंह आयु लगभग 45 वर्ष
आत्मज स्व. श्री जवाहर सिंह सिंह जाति लोधी व्यवसाय कृषि

03. भारत सिंह लोधी आयु लगभग 40 वर्ष
आत्मज स्व. श्री जवाहर सिंह सिंह जाति लोधी व्यवसाय कृषि
तीनों काश्तकार व निवासी ग्राम–शाहपुर तहसील हुजूर जिला भोपाल...........आवेदकगण

विरूद्ध

कामताप्रसाद लोधी आयु लगभग 58 वर्ष
आ. स्व. श्री जवाहर सिंह लोधी जाजि
लाधी व्यावसाय कृषि काश्तकार व
निवासी–शाहपुर तहसील हुजूर जिला भोपाल ....अनावेदक

(229)

महोदय,

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व सहिंता 1959 व न्यायालय नायव तसहीलदार वृत्त 1 के अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक प्रक्ररण क्र. 161अ 12/17–18 व मामले कामता प्रसाद लोधी विरूद्ध ओमप्रकाश लोधी व 2 अन्य मं आदेश दिनांक 03/07/2018 से असेतुवर व अपनी सहमति प्रकट करते हूए यह पुनीरीक्षण आवदेन पत्र सम्मानीय न्यायालय में समय सीमा के अन्दर निम्न लिखित संक्षिप्त तथ्य एवं वैधानिक आधारो पर प्रस्तुत है।

01. यह कि प्रक्ररण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक ने भूमि खसरा क्र. 203/204/1 रकबा 1–86 है खसरा 1/2/1 रकबा 0–255 हैक्टेयर खसरा क्र. 3/2/1 रकबा 0–728 हैक्टेयर स्थित ग्राम–शाहपुर प.ह.नं. 07 निरीक्षक मण्डल 1, तहसील हुजूर, भोपाल का हल्का पटवारी से मिलीभगत करके गलत वटान कायम करवा कर सीमांकन आवेदकगण को विना सुचना दिए आवेदकगण की अनुपस्थिति मे टी.एस. एम. मशीन से आवेदकगण के स्वत्व एवं स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि में खड़ी सोयावीन की फसल में सीमांकन करवाया गया है।

02. यह कि आवेदकगण के स्वत्त स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि जो की दिनांक 04/09/1995 को पिता जी ने अपने जीवनकाल में पंजी क्र. 73 से सभी भाईयो तथा स्वयं के पारिवारिक वटवारा किया था तथा सभी को जिस तरह वटवारा किया था उसी तरह सभी खेती करते चले आ रहे है।

03. यह कि आवेदक ने हल्का पटवारी से गलत वटान डलवाकर आवेधानिक रूप से सीमांकन करवाकर आवदेकगण के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की कृषि भूमि पर खड़ी फसल को विना 250 के आवेदन लगाए वैधानिक प्रक्रिया के अपनाए विना ही आवेदकगण की फसल को ट्रैक्टर में कल्टीवेटर लगाकर नष्ट करने पर आमादा है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4606/2018/भोपाल/भू-रा. जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-07-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की. उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 15-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	